

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एम.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री-~~नारायण~~ पिता/पति श्री ~~धन्ना~~ रेगर

बनाम

राज्य सरकार अरिथे तहसीलदार बस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री-~~नारायण~~ पिता/पति श्री ~~धन्ना~~ रेगर निवासी ~~गामराव~~ का का/की हुं/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्रामराव की में खाता संख्या किता रकबा है. भूमि दर्ज रूप में ~~नारायण~~ पिता/पति श्री ~~धन्ना~~ रेगर दर्ज करवाना चाहती हू/चाहता हूं।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम ~~धन्ना~~ पिता/पति श्री दर्ज करवाने की कृपा करावे।

के बजाय ~~धन्ना~~ पिता/पति श्री रेगर

दिनांक 3/10/2025



हस्ताक्षर


प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री ~~नारायण~~ पिता/पति श्री ~~धन्ना~~ रेगर निवासी ~~गामराव~~ का ~~गामराव~~ हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 34,54 में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में ~~नारायण~~ पिता/पति श्री ~~धन्ना~~ रेगर दर्ज करवाना चाहते हैं/चाहते हैं। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रामाणित करते है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।


हस्ताक्षर पटवारी
पटवार म...
तह. वर... (ज.)


हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर 03.10.25

ग्रामीण सेवा विभाग-2025

तहसील-बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत (अमरपुरा). दिनांक-3.10.25

25

25

ग्राम सेवा शिविर 2025 अभियान

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/25

प्रेषित,

दिनांक:-3/10/2025


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्रीनारायण लाल पिता/पति श्री धना देवरा निवासी राबत पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम राबत जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 34, 51 में नारायण लाल पिता/पति श्री धना देवरा जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम नारायण लाल पिता/पति श्री धना देवरा दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम नारायण लाल पिता/पति श्री धना देवरा का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।


तहसीलदार (भू.अ.)
बस्सी
जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/778

दिनांक:-6/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्रीनारायण लाल पिता/पति श्री धना देवरा राजस्व पटवार हल्का अमरपुरा की खाता संख्या 34, 51 में जाति/नाम नारायण लाल पिता/पति धना देवरा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंघा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्रीनारायण लाल पिता/पति श्री धना देवरा की जाति/नाम नारायण लाल पिता/पति श्री धना देवरा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।